निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 1 (175) स्था/निकाशि/ 2011/पार्ट/2086 दिनांक 12-01-2012

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :— संविदा व्याख्याताओं को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5898/2011 स्नेहलता चौधरी एवं अन्य बनाम राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 11.08.2011 में निर्देश प्रदान कर यह व्यवस्था प्रदान की है कि **नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत व्याख्याता उपलब्ध होने पर उन्हें संविदा के आधार पर कार्य कर रहे व्याख्याताओं के स्थान पर (Replace) लगाया जा सकता है।**

अतः संविदा व्याख्याताओं को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 11.08.2011 की पालना में महाविद्यालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्याख्याता अथवा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत व्याख्याता उपलब्ध होने पर यदि विषय विशेष में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में नियमित चयनित अभ्यर्थी (राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त अथवा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 से उपलब्ध व्याख्याता) को संविदा व्याख्याता के स्थान पर (Replace) लगाया जाकर संविदा व्याख्याता को कार्यमुक्त किया जा सकता है। यदि ***विषय विशेष में पद रिक्त हो तो*** संविदा व्याख्याता को आगामी निर्देशों तक **कार्यमुक्त नहीं** किया जावे। तदानुसार कार्यवाही कर निदेशालय को सूचित करावें।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक : एफ 1 (175) स्था/निकाशि/ 2011/पार्ट/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3 सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4 स्थापना शाखा/विधि शाखा/योजना एवं समन्वय शाखा।
5 नोडल अधिकारी, विभागीय बेवसाइट।
6 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)